[21/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 3703]

परिशिष्ट–1

कार्यालय महाप्रबन्धक
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक – 1, छिन्दवाड़ा

(सरन स्टेट, गौरव होटल के सामने, छिंदवाड़ा, म0प्र0, फोन – 07162-248720)

पत्र क्रमांक/285 /तक./म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा./2022, छिन्दवाड़ा, दिनांक 2/03/2022

प्रति,

महाप्रबंध समन्वयक,
(विधानसभा सेल)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
पर्यावास भवन, पंचम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विषय :– अतारांकित प्रश्न क्र. 3703 द्वारा माननीय श्री विजय रेवनाथ चौरे जी।
(जाम नदी पर पुल निर्माण)

संदर्भ :– कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर का पत्र क्र.क्यू जबलपुर दिनांक 01.03.2022.

–0–0–0–0–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 3703 प्राप्त हुआ जो प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के कार्यक्षेत्र में आता है, जिसका उत्तर प्रारूप तैयार कर आपकी ओर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार प्रारूप उत्तर एवं प्रपत्र।

महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियानवयन इकाई क्रमांक –1, छिन्दवाड़ा

पत्र क्रमांक/286 /तक./म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा./2022, छिन्दवाड़ा, दिनांक 2/03/2022

प्रतिलिपि :–

1. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में संलग्न सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियानवयन इकाई क्रमांक –1, छिन्दवाड़ा

परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 11/03/2022

वर्ग :–4

बैठक का दिनांक :– 22/03/2022

विभाग का नाम :– लोक निर्माण विभाग

विषय :– जाम नदी पर पुल निर्माण।

अतारांकित प्रश्न क्र. 3703, :– द्वारा श्री विजय रेवनाथ चौरे।

क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सौंसर विकासखंड में पिपला नारायणवार से कोपरावाडी के मध्य जाम नदी पर एक बडा पुल निर्माण के लिए स्वीकृत किया गया था? जिसके टेण्डर भी हो चुके है?

(ख) क्या प्रश्न दिनांक तक उपरोक्त पुल का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है? यदि नही तो टेन्डर होने के बाद भी निर्माण कार्य आरम्भ न होने का क्या कारण है?

(ग) उपरोक्त पुल का निर्माण कार्य कब प्रारंभ होगा और इसे कब तक पूरा कर लिया जावेगा?

(घ) क्या सरकार उपरोक्त पुल के निर्माण कार्य में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियो के विरूद्ध कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(क) सौंसर विकासखंड में पिपलानारायणवार से कोपरावाडी के मध्य जाम नदी (आर.डी. 700 मी.) पर पुल माह–जनवरी 2019 में स्वीकृत हुआ था एवं उक्त पुल का टेन्डर भी हो चुका है।

(ख) प्रश्न दिनांक तक पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ नही हुआ है एवं नदी में जनवरी माह तक पानी का बहाव होने से तत्पश्चात् कंफरमेट्री योरलाग मार्च 2020 तक पूर्ण किया गया है। कोविड–19 महामारी के कारण 22.03.2020 से संपूर्ण प्रदेश में लॉकडाउन लगने के कारण मार्च–2020 से प्रगति नगण्य रही एवं इसी वर्ष 28–29 अगस्त 2020 में सौंसर विकासखंड में अत्यधिक वर्षा होने के कारण उच्चाधिकारियो के निरीक्षण उपरांत दिये गये दिशा निर्देशानुसार पुल को Submersible पुनरीक्षित डिजाइन किया जाकर विचलन प्रकरण में पुनरीक्षित स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित कर पुनरीक्षित स्वीकृति दिनांक 24.01.2022 को प्राप्त की गई जिस कारण विलम्ब हुआ।

(ग) उपरोक्त पुल का कार्य प्रारंभ करने के लिये निर्धारित एजेंसी को पुनः पत्र के माध्यम से आदेशित किया गया है।

(घ) चूंकि वर्ष 2020 के माह अगस्त में सौंसर विकासखंड में अतिवृष्टि हुई जिसमें पिछले 50 सालो में वर्षा का रिकार्ड टूटना पाया गया, जिस कारण बाढ का उच्चतम स्तर पुल को पार कर गया जिससे पुल के HFL को पुनरीक्षित करना पड़ा, जिस कारण से कार्य में विलम्ब हुआ, विलम्ब के लिए कोई अधिकारी दोषी नही है।

महाप्रबंधक

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण